न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री विकास पंचोली आ.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी

तारीख 25/01/2019

राजस्व प्रकरण संख्या 5/2019

अनवान

1. वन्दना पत्नि रितुराज जाति पाण्डे उम्र बालिग निवासी चित्तोड़ा गली बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. सावरिया ऐज्यूकेशन सोसायटी बिजौलियां मार्फत कोषाध्यक्ष वन्दना पत्नि रितुराज जाति पाण्डे निवासी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.................वादीगण

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र घनश्याम जाति स्वर्णकार उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. माया पत्नि विनोद कुमार जाति स्वर्णकार उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. संजय पुत्र जगदीशचन्द्र जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. अरविन्द पुत्र जगदीशचन्द्र जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. आलोक पुत्र जगदीशचन्द्र जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. योगेश कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
7. सतीश पुत्र मदनलाल जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
8. श्यामलाल पुत्र मदनलाल जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री गिरधारीलाल आचार्य — अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट

निर्णय

दिनांक 27.06.2019

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत **धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फतहपुर पटवार मण्डल उमाजी का खेड़ा आराजी नम्बर 19 रकबा 5—01 बीघा वादिया क्रम 1 की खातेदारी में दर्ज रही भूमि होकर वादिया द्वारा दो बार में अलग अलग समय में एक एक बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय के वादी क्रम 2 सावरिया एजूकेशन सोसायटी बिजौलियां को विक्रय की गयी। जिसका नामान्तरकरण वादी क्रम 2 के नाम पर खोला जाकर आराजी नम्बर 19/4 रकबा 1—00 बीघा व आराजी नम्बर 19/5 रकबा 1 बीघा से दर्ज अभिलेख की गयी। विक्रय के पश्चात आराजी नम्बर 19 रकबा 3—01 बीघा भूमि वादिया क्रम एक के खाते व कब्जे में शेष रही। वादिया क्रम एक द्वारा वादिया क्रम दो को विक्रय की गयी भूमि खसरा संख्या 19/4 व 19/5 वादी क्रम 2 के उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं। वादिया क्रम एक वादीक्रम दो सावरिया एजूकेशन सोसायटी बिजौलियां की सक्रीय पदाधिकारी होकर उक्त भूमि बाबत् वादिया क्रम एक सम्पूर्ण जानकारी रखती हैं। वादिया क्रम एक सांवरिया एजूकेशन सोसायटी बिजौलियां की सभी प्रकार की सम्पति देखरेख एवं उसकी उन्नति व विकास हेतु कार्य करती हैं। वादीगण अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि का रख रखाव भूमि की सुरक्षा, उपयोग, उपभोग उन्नत व विकसित करने का वादीगण को पूर्ण अधिकार हैं। प्रतिवादीगण का वादीगण के खाते व कब्जे से सम्बन्धित वादग्रस्त जायदाद में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नही हैं। वादीगण की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में ख0न0 19 के उतरी पूर्वी कोने तक बिलानाम भूमि ख0न0 22 स्थित हैं। व पूर्वी दिशा में वादिया क्रम एक के नाम पर दर्ज वाणिज्यक रूपान्तरित ख0न0 19/2 रकबा 0—12 बीघा भूमि स्थित हैं शेष पश्चिम व दक्षिण दिशा में खातेदारी भूमि स्थित हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि को लेकर आये दिन विवाद किया जाता रहा हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि को उन्नत व विकसित नही करने देते हैं व धमकी देते रहे हैं कि प्रतिवादीगण को वादीगण के खाते व कब्जे की भूमि का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देगें। जबरन कब्जा करेगें। यदि वादीगण की अपनी खातेदारी भूमि को उन्नत या विकसित किया तो उसे ध्वंस कर देगें। दिनांक 25.12.2018 को प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी भूमि पर की गयी फेन्सीग को तोड़ दिया एवं जबरन अतिचार कब्जा करने का प्रयास किया। प्रतिवादीगण को रोकने पर धमकी दी कि यदि वादीगण या वादीगण की ओर से किसी ने रोकने का प्रयास किया तो सभी भूमि पर कब्जा कर लेगें। वादीगण को उनकी जायदाद से जबरन बेदखली का खतरा उत्पन्न हो गया हैं। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से अपनी बेदखली की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं।

वादी द्वारा अन्त में अनुतोष चाहा गया कि मौजा फतहपुर स्थित वादीगण की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि खसरा नं0 19 रकबा 3–01 बीघा, ख0न0 19/4 रकबा 1–00 बीघा, ख0न0 19/5 रकबा 1–00 बीघा में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से अवैध अतिचार नही करने, भूमि के वादीगण के उपयोग उपभाग में बाधा उत्पन्न नही करने, भूमि को क्षति कारित नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। वादपत्र डिक्री फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज की गई।

प्रतिवादीगण को आवाज दिलवाई गयी। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तिला गैर हाजिर रहें हैं। समन बाद तामील संलग्न पत्रावली हैं।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कियें।

1. शपथपत्र वादिया वन्दना।
2. नकल जमाबन्दी ग्राम फतहपुरा संवत् 2073 से 2076 तक।
3. ट्रस्ट के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
4. नक्शा ट्रेस फोटो प्रति।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नही की गयी।

साक्ष्यवादी में वादिया वन्दना पाण्डेय उपस्थित जिसके बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली करवाये गये। वादिया ने अपने बयान में लिखाया कि मेरी खातेदारी भूमि मौजा फतेहपुरा आराजी नम्बर 19 कुल 5–01 बीघा भूमि स्थित हैं। जिसमें से आराजी नम्बर 19/4 रकबा 1–00 बीघा सांवरिया एजूकेशन सोसायटी बिजौलियां के नाम पर दर्ज होकर में उसकी कोषाध्यक्ष हूं। एवं इसी प्रकार आराजी नम्बर 19/5 रकबा 2–04 बीघा भी सांवरिया एजूकेशन सोसायटी बिजौलियां के नाम दर्ज होकर में उसकी कोषाध्यक्ष हूं। शेष 2–12 बीघा में से 0–12 बीघा जमीन वाण्ज्यि परियोजनार्थ हैं। एवं शेष बची 2–00 बीघा जमीन मेरे खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त भूमि मेरे ही अधिकार अधिपत्य व कब्जे में होकर में उसकी देखभाल कर रही हूं। प्रतिवादीगण को मैंने उक्त जमीन किसी भी प्रकार से अन्तरित नही कि हैं। फिर भी प्रतिवादीगण आए दिन कब्जे को लेकर विवाद करते हैं। और मुझे बेदखल करना चाहते हैं। अतः प्रतवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाए। कि मेरे कब्जे में दखल अन्दाजी नही कि जाए। नकल जमाबन्दी पेश कि जो प्रदर्श 1 नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 एवं सांवरिया एजुकेशन सोसायटी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 एवं कार्यकारिणी कि लिस्ट प्रदर्श 4 हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि -भीलवाड़ा

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई।

बहस के दौरान वकीलवादीया ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया। तथा निवेदन किया कि प्रकरण एक पक्षीय हैं। वाद की ताईद में शपथपत्र एवं वादिया के बयान कराये हैं प्रतिवादीगण को इस वाद के स्वरूप किसी प्रकार की आपत्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करतें। वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावें।

हमने पत्रालवी का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम फतहपुरा संवत् 2073 से 2076 के अवलोकन से वादियागण खातेदार हैं। तथा प्रतिवादीगण के दखलनदाजी करने के सम्बन्ध में वादियागण ने अपना स्वयं का शपथ पत्र व बयान में लिखाया हैं। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित ही नही हुये हैं। वादिया स्वयं ने अपने बयान में लिखाया कि प्रतिवादीगण आये दिन कब्जों को लेकर विवाद करते हैं एवं मुझे बेदखल करना चाहते हैं। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य हैं।

अतः वादपत्र वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। कि मौजा फतहपुर स्थित वादीगण की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि खसरा नं0 19 रकबा 3–01 बीघा, ख0न0 19/4 रकबा 1–00 बीघा, ख0न0 19/5 रकबा 1–00 बीघा में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से अवैध अतिचार नही करने, भूमि के वादीगण के उपयोग उपभाग में बाधा उत्पन्न नही करने, भूमि को क्षति कारित नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 27/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या 5/2019

1. वन्दना पत्नि रितुराज जाति पाण्डे उम्र बालिग निवासी चित्तोड़ा गली बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. सावरिया ऐज्यूकेशन सोसायटी बिजौलियां मार्फत कोषाध्यक्ष वन्दना पत्नि रितुराज जाति पाण्डे निवासी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.................वादीगण

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र घनश्याम जाति स्वर्णकार उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. माया पत्नि विनोद कुमार जाति स्वर्णकार उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. संजय पुत्र जगदीशचन्द्र जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. अरविन्द पुत्र जगदीशचन्द्र जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. आलोक पुत्र जगदीशचन्द्र जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. योगेश कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
7. सतीश पुत्र मदनलाल जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
8. श्यामलाल पुत्र मदनलाल जाति सलावट उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0एक्ट

डिक्री दिनांक :– 27.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉं बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री गिरधारीलाल आचार्य हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता हैं। कि मौजा फतहपुर स्थित वादीगण की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि खसरा नं0 19 रकबा 3–01 बीघा, ख0न0 19/4 रकबा 1–00 बीघा, ख0न0 19/5 रकबा 1–00 बीघा में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से अवैध अतिचार नही करने, भूमि के वादीगण के उपयोग उपभाग में बाधा उत्पन्न नही करने, भूमि को क्षति कारित नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। डिक्री मूर्तिब हों।

नीज ....Nil...............................मुवलिग .... Nil ....बावत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 06 वर्ष 2019 को जारी किया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि -भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि -भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner